न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 14/2024

प्रार्थी– — ***बनाम*** — **अप्रार्थीगण–**

खुमाराम पुत्र भुराराम जाति जाट
निवासी जाखडों की ढाणी हाल
सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत सनावड़ा जरिये सरपंच
2. चंपाराम पुत्र बलवन्ताराम के कायम मुकाम
   2/1 खरथाराम पुत्र चंपाराम
   2/2 प्रभुराम पुत्र चंपाराम
   2/3 भाउराम उर्फ भेराराम पुत्र चंपाराम निवासी सनावड़ा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 76 दिनांक 14.04.2017 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सनावडा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह राठोड, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2/1 से 2/3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सनावड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सनावड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा [illegible] दिनांक 14.04.2017 जारी किया गया। इस पट्टा [illegible] राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त [illegible] की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सनावड़ा की आबादी भूमि में हीरालाल पुत्र बलवन्ताराम का एक भूखण्ड आया हुआ था। जिसमें हीरालाल ने दिनांक 14.05.1993 को 60 गुणा 40 फीट भूमि का प्लांट जिसके पडौस पूर्व में हीरालाल का भूखण्ड, पश्चिम में पानी का टांका व आगोर, उतर में गली, दक्षिण में गांव का आम रास्ता वाले भूखण्ड को निगरानीकर्ता को बेचान कर उस पर कब्जा करवा दिया था। तब से वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड खरीद करने के बाद उसमें दो कमरों का निर्माण करवाया था जिसमें उसको रहवास चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा हेतु विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। जमीनो की किमतो में तत्पश्चात वृद्धि हो जाने से फर्जी पट्टे की आड़ मे प्रार्थी के भूखण्ड पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। आलौच्य पट्टा में उल्लेखित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कभी कब्जा नहीं रहा है और न ही आज भी है, ऐसे में बिना कब्जे के जारी किया गया पट्टा विलेख निरस्त योग्य है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 में उल्लेखित नियम संख्या 145, 146, 147, 148, 149 एवं 157 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया जो पत्रावली देखने से स्पष्ट है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण फीस जमा होने के उपरान्त नियम 146 के तहत पंचायत द्वारा तीन पंचों की कमेटी गठित कर पट्टा जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का मौका निरीक्षण, वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। अगर वास्तव में वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण किया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

यह अवश्य ही तथ्य साबित हो जाता कि वादग्रस्त स्थल निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है। इससे स्पष्ट है कि न तो मौका कमेटी का गठन किया गया और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण ही नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भी आलौच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उक्त पट्टा पत्रावली मे मौका निरीक्षण के पश्चात नियम 148 के तहत पट्टा स्थल के संबंध में आपत्तियां मंगवाई जाती है तथा आपत्ति नोटिस वादग्रस्त स्थल एवं पंचायत के बोर्ड पर दो साक्षीयों के रूबरू चस्पा किया जाता है परन्तु हस्तगत प्रकरण मे आपत्ति नोटिस के संबंध में कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा न तो आवेदन लिया गया, न ही नक्शा फीस, न ही मौका निरीक्षण फीस जमा करवाई गई और न ही हस्तगत प्रकरण में आपत्ति नोटिस जारी किये गये और न ही आमसभा में पट्टा जारी करने की अनुमोदना जारी की गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सनावड़ा द्वारा तथाकथित पट्टा विलेख निरस्त योग्य है।ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया जो आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा संख्या 76 दिनांक 14.04.2017 निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 02 का ग्राम पंचायत सनावड़ा की आबादी भूमि में स्थित है। जिस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 व उनके परिवार का पिछले कई वर्षो से लगातार कब्जा व रहवास चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत सनावड़ा के कार्यालय में पट्टा हेतु विधिवत् रूप से पट्टा प्राप्त करने हेतु [illegible] प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर [illegible] कब्जे के आधार पर उक्त पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टे जारी होने से पूर्व व पट्टा जारी होने तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। निगरानीकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा पूर्व में सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करता था। जिस पर कार्यालय ग्राम पंचायत सनावड़ा द्वारा दिनांक 29.01.2011 को आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु अभियान चलाकर भू माफियो की सूची में निगरानीकर्ता का नाम अंकित है। निगरानीकर्ता द्वारा बार–बार वहां अतिक्रमण करने पर उतारू है उसी अतिक्रमण की आड़ मे विप्रार्थी के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र मिथ्या, निराधार, गलत एवं विधिविरूद्ध तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी का कथन हैं कि ग्राम पंचायत सनावड़ा की आबादी भूमि में हीरालाल पुत्र बलवन्ताराम का एक भूखण्ड आया हुआ था। जिसमें हीरालाल ने दिनांक 14.05.1993 को 60 गुणा 40 फीट भूमि का प्लांट जिसके पडौस पूर्व में हीरालाल का भूखण्ड, पश्चिम में पानी का टांका व आगोर, उतर में गली, दक्षिण में गांव का आम रास्ता वाले भूखण्ड को निगरानीकर्ता को बेचान कर उस पर कब्जा करवा दिया था। तब से वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड खरीद करने के बाद उसमें दो कमरों का निर्माण करवाया था जिसमें उसको रहवास चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा हेतु विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। इस कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, ऐसे में सर्वप्रथम तो प्रार्थी आलौच्य पट्टे से हितबद्ध होने का तथ्य प्रमाणित नहीं कर पाया हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना–पत्र हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं। । अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलोच्य अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत सनावड़ा के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पुराने कब्जे के विनियमितिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत स्थल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका लिखी गई हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 1 भी पारित हुआ हैं। इसके पश्चात दिनांक 05.05.2017 की बैठक में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। आगामी बैठक दिनांक 20.05.2017 को प्रस्ताव सं. 01 पारित करते हुए नियमानुसार शुल्क राशि 200/– जमा करने पर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया हैं। इस प्रकार समस्त कार्यवाही पंचायत की आम बैठक में नियमानुसार सम्पन्न हुई हैं, ऐसे प्रार्थी का यह कथन भी मानने योग्य नहीं हैं कि आलौच्य पट्टा कूटरचना द्वारा जारी किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत सनावड़ा द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 76 की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर किसी प्रकार की त्रुटि नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested